

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/बारां/68247/2010
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
बारां एवं उदयपुर।

जयपुर, दिनांक :
17 AUG 2017

विषय :- बारां जिले में निवासरत “सहरिया एवं खैरुआ” जनजाति तथा उदयपुर जिले में
निवासरत कथौड़ी जनजाति परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन
का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा बारां जिले में निवासरत “सहरिया एवं
खैरुआ” जनजाति तथा उदयपुर जिले में निवासरत “कथौड़ी” जनजाति परिवारों को वित्तीय वर्ष
2017-18 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का निर्धारित रोजगार पूर्ण करने के पश्चात
नियमानुसार रोजगार की मॉग किये जाने पर 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से
अर्थात् कुल 200 दिवस का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य मद से 100 दिवस के अतिरिक्त रोजगार के लिए कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित
कराने का श्रम करावे :—

- I. उक्त अतिरिक्त रोजगार के लिए मस्टररोल नियमानुसार नरेगा सॉफ्ट से ही जारी की
जायेगी।
- II. जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य
कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा पंचायत समिति स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी महात्मा
गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति यह सुनिश्चित करेगे कि 100 दिवस का
यह अतिरिक्त रोजगार केवल उक्त वर्षित जनजाति के परिवारों को ही उपलब्ध कराया
जावे एवं अन्य परिवारों को योजनान्तर्गत नियमानुसार 100 दिवस का रोजगार ही दिया
जावे।

उक्त निर्देश वित्त विभाग की आई.डी संख्या 101704164 दिनांक 08.08.2017 से प्राप्त स्वीकृति के
अनुरूप जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

Min 17/8/17

(रोहित कुमार)

सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रत्येक
वर्ष के अनुरूप राज्य मद से 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु नरेगा सॉफ्ट
में उचित प्रावधान कराये जाने का श्रम करावे।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद बारां एवं उदयपुर।
8. सलाहकार (आईईसी) को प्रेषित कर लेख है कि प्रेस नोट रिलिज करने की व्यवस्था करें।

परि.निदे.एवं सचिव, ईजीएस